

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2024


क्रमांक 79/नि.स./स./उ.शि/2024 :: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में स्वाध्यायी विद्यार्थियों के रूप में पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. डॉ. अरूणा पल्टा, कुलपति,
हेमचन्द्र यादव, विश्वविद्यालय, दुर्ग | - | संयोजक |
| 2. डॉ. राजेश पाण्डेय, अपर संचालक
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, दुर्ग | - | सदस्य |
| 3. डॉ. प्रवीण पाण्डेय, अपर संचालक
क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 4. डॉ. शोभित बाजपेयी, प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय,
बिलासपुर | - | सदस्य |
| 5. डॉ. भूपेन्द्र कुलदीप, कुलसचिव
हेमचन्द्र यादव, विश्वविद्यालय, दुर्ग | - | सदस्य सचिव |

संदर्भ शर्तें :-

1. स्वाध्यायी विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण।
2. पंजीयन की प्रक्रिया एवं शुल्क का निर्धारण।
3. सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली।
4. प्रायोगिक विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण।
5. GE, VAC, SEC चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
6. अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण।
7. आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण।
8. स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अतिरिक्त कार्य के लिए स्टाफ की आवश्यकता का निर्धारण।
9. आवश्यकता अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अन्य नियम/निर्देश।

समिति अपना प्रतिवेदन 20 जुलाई 2024 तक आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सौंपेगी।


(प्रसन्ना आर.)
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 80/नि.स./स./उ.शि/2024
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2024

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।



सचिव
उच्च शिक्षा विभाग